18/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० विपक्षीगण
को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद
जवाब पेश नहीं किया अत: जवाब बन्द किया जाता है।
वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर
मनन किया गया, पत्रावली का अध्ययन अवलोकन
किया गया जिससे प्रतीत होता है की ~~प्रार्थना~~ प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार ~~करने योग्य~~ किया जाता है।
अत: नियमबद्ध निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 99/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

देराम वगैरा बनाम जगराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री मांगीलाल जयपाल

निर्णय दिनांक – 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 284/114 रकबा 3.4965 हैक्टर, किस्म बा.सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 284/114 रकबा 3.4965 हैक्टर, किस्म बा.सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

18/6/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विपक्षीगण
1. देराम पुत्र धना 2. मोहन पुत्र धना 3. सवराम पुत्र धना 4. हेमराज पुत्र धना जाति बिश्नोई, निवासी सोमारडी, हाल निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. जगराम पुत्र काना 2. मूलीदेवी पत्नि भागमलराम 3. मूलाराम पुत्र रामकिशन 4. मुलाराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 5. भिकाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट, निवासी कोली 6. आईदान पुत्र प्रभु 7. करनान पुत्र प्रभु 8. नरसी पुत्र प्रभु 9. मेघ पुत्र रीमा 10. सरमी पत्नि गमा 11. भिखा पुत्र रीमा 12. रामली पत्नि प्रभु 13. हेमराज पुत्र रीमा जाति कोली, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 14. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम बाबत मेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 09/2024 दिनांक : 18/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को लेखकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 284/114 रकबा 3.4966 हैक्टर, किस्म बा.रोगम** के चारों तरफ पक्की मेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पैमाइश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को तिथि की तिथि बाबत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा मेखमबंदी की पालना 15 दिवस में आवश्य पेश करें। मेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार विवाद होने की स्थिति में उस बिन्दु पर मेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही मेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

मेखमबंदी के दौरान विपक्षीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

18/6/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/2150-53 दिनांक 20/06/2024

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी देराम पुत्र धना वगैरा।
3. विपक्षीगण जगराम पुत्र काना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

18/6/24

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा